समाहरणालय, लखीसराय।
(खनन शाखा)

पत्रांक–........................./खनन, लखीसराय।

दिनांकः...

ई–मेलः– mineslakhisarai@gmail.com

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विशयः– दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया थाना कांड सं0–20/25 में जप्त उजले बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना का प्रकाशन कराया जाना है। आम सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न अल्पकालीन आम सूचना अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
समाहर्ता,
लखीसराय।

ज्ञापांक 413 /खनन, लखीसराय, दिनांक 10-05-2025

प्रतिलिपि :–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, लखीसराय को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

10/5/2025

समाहर्ता,
लखीसराय।

समाहरणालय, लखीसराय।

(खनन शाखा)

लखीसराय जिलान्तर्गत जप्त उजले बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना

लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया थाना कांड– 20/25 में जप्त उजले बालू के नीलामी हेतु दिनांक– 30.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से समाहरणालय, लखीसराय स्थित सभागार में खुले डाक के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा। अपरिहार्य कारणवश यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में अगले कार्य दिवस को खुली नीलामी करायी जाएगी। इसके लिए सुयोग्य व्यक्ति/फर्म/कंपनी से मुहरबंद/सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रपत्र से संबंधित जानकारी लखीसराय जिले के वेबसाईट **https://lakhisarai.nic.in/notice_category/tenders/** से प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने के लिए अग्रधन राशि एवं अन्य वांछित कागजात जिला खनन कार्यालय, लखीसराय में जमा करने की अंतिम तिथि– 23.05.2025, समय संध्या 05:00 बजे तक है।

10/5/2025

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

लखीसराय जिलान्तर्गत भण्डारित जप्त बालू के नीलामी का निविदा प्रपत्र।

भण्डारित जप्त बालू का स्थल– बड़हिया बी.एन.एम. कॉलेज गंगा घाट के पास बगीचा में।		
1.	नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का नाम	
2.	भाग लेने वाले व्यक्ति के पिता / पति का नाम (फर्म की स्थिति में फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर)	
3.	स्थायी पता	
4.	स्थानीय पता / वर्त्तमान पता	
5.	सम्पर्क सूत्र (Contact No.)	
6.	ई–मेल	
7.	पैन कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)	
8.	आधार कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)	
9.	जी०एस०टी० निबंधन संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)	
10	स्वामिस्व (ROYALTY) स्वच्छता प्रमाण / बकाया रहित शपथ पत्र संख्या / दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	
11.	आचरण प्रमाण पत्र पत्र संख्या / दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	
12	संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं होने संबंधी स्वयं शपथ पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें	
13.	अग्रधन के रूप में सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट संख्या तिथि एवं निर्गत करने वाले बैंक का नाम	
14.	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	

नोट :– (क) पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी०एस०टी० निबंधन से संबंधित साक्ष्यों की स्वअभिप्राणित प्रति संलग्न करें। (ख) खनन संबंधी बकाया रहित शपथ पत्र मूल में संलग्न करेंगे। (ग) निविदा आवेदन एवं संलग्न कागजात मुहरबंद / सीलबंद लिफाफे में जिला खनन कार्यालय, लखीसराय में जमा करेंगे। (घ) निविदादाता का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से मुहरबंद लिफाफा के उपर अंकित होना चाहिए।

☐ मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी बातें सत्य है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ।

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम :–

स्थान –

पदनाम :–

दिनांक –

मोबाईल नं०:–

समाहरणालय, लखीसराय।

(खनन शाखा)

पत्रांक– 412 / एम0, दिनांक– 10/05/2025 /

लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया थाना कांड सं0– 20 / 25 में जप्त बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बड़हिया थाना कांड सं0– 20 / 25 में निम्नांकित जप्त बालू की बिक्री हेतु **दिनांक– 30.05.2025 को पूर्वाहन् 11 बजे से समाहरणालय, लखीसराय** स्थित सभागार में खुले डाक के माध्यम से निर्धारित शर्त्तो के अधीन किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में अगले कार्यदिवस दिनांक– 31.05.2025 को नीलामी कराई जाएगी।

जप्त बालू की मात्रा एवं स्थल की विवरणी:–

क्र0	अनुमंडल	अंचल	जप्त बालू का स्थल	बालू की मात्रा (घनफीट में)	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन राशि (सुरक्षित जमा राशि का 25%)
1.	लखीसराय	बड़हिया	बी.एन.एम. कॉलेज गंगा घाट के पास बगीचा में।	93000	1377619 / –	344405 / –

आम नीलामी निम्न शर्त्तो के अधीन की जाएगी:–

1. डाकवक्ता को निर्धारित अग्रधन राशि के साथ–ही अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, खनन बकाया नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
2. डाकवक्ता में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र में स्थाई पता अंकित होना चाहिए, साथ ही यह भी अंकित होना चाहिए कि उनके विरूद्ध संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं है। उक्त आचरण प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
3. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति / प्रतिष्ठान को डाक हेतु निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक– 23.05.2025 के संध्या 5 बजे तक सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप मे खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत लखीसराय में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित कागजात (कंडिकानुसार) जमा करना होगा।
4. सफल डाकवक्ता को डाक की तिथि से दो कार्य दिवस के अंदर नीलामी की संपूर्ण राशि का भुगतान (अग्रधन की राशि समायोजित करते हुए) करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

5. सफल डाकवक्ता को User ID एवं Password निर्गत होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर भंडारित स्थल से बालू बिक्री करते हुए हटा लेना होगा एवं संपूर्ण बालू उठाव होने तक इस अवधि में डाक में प्राप्त बालू के कस्टोडियन सफल (उच्चतम) डाकवक्ता ही रहेंगे।
6. सफल डाकवक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर संपूर्ण राशि जमा करने में असफल रहने की स्थिति में उनकी अग्रधन की राशि जब्त करते हुए दूसरे सफल डाकवक्ता को नीलामित राशि पर बालू बिक्री करने का मौका दिया जाएगा।
7. नीलामधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खनन विभाग द्वारा निर्गत प्रीपेड ई–चालान निर्गत करना होगा जिसमें बालू की मात्रा एवं राशि भी अंकित रहेगी।
8. उत्तोलित बालू के लिए विहित प्रपत्र में माह के 15 तारीख तक विवरणी जिला खनन कार्यालय, लखीसराय में दाखिल करना होगा एवं बालू प्रेषण के लिए नियमानुसार पंजी संधारित करनी होगी।
9. प्रेषण के स्थल पर साईनबोर्ड लगाना होगा जिसमें नीलामधारी का नाम पता, नीलामी अवधि, स्थल प्रबंधक का नाम, पता एवं विक्रय मूल्य अंकित होगा।
10. नीलामधारी को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित 2024 के नियमों एवं शर्त्तो तथा पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन करना होगा।
11. श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की सुविधा के लिए विश्राम, शेड, पेयजल आदि की व्यवस्था करनी होगी।
12. नीलामधारी को समाहर्त्ता द्वारा बालू प्रेषण के संचालन के संबंध में जनहित में दिये गये अन्य निदेशों का पालन करना होगा।
13. मार्ग से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।
14. डाकवक्ता भण्डारित जप्त उजला बालू का आकलन डाक में भाग लेने से पूर्व स्वयं स्थल भ्रमण कर आश्वस्त होना होगा, बाद में किसी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।
15. नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा CLARIFICATION के लिए जिला खनन कार्यालय, लखीसराय (मो0 नं0– 9155245818) से संपर्क किया जा सकता है।
16. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित 2024 के नियमों एवं शर्त्तो एवं बन्धेजों का अनुपालन नहीं करने पर अपरिहार्य कारण से किसी भी समय निविदा को रद्द करने का संपूर्ण अधिकार समाहर्त्ता को सुरक्षित रहेगा।

10/5/2025

समाहर्त्ता,
लखीसराय।